

# Order Sheet [Contd]

Case No 93/2017 बी.ए

| Date of Order or Proceeding | Order or proceeding with Signature of presiding   | Signature of Parties or Pleaders where necessary |
|-----------------------------|---|--|
| 07-03-2017                  | <p>आवेदक/आरोपी रामवरनसिंह की ओर से श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता।</p> <p>राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक।</p> <p>आरक्षी केन्द्र गोहद की ओर से अप0क्र0 339/2016 धारा 147, 148, 149, 294, 324, 506बी भा.द.वि इजाफा धारा 326 भा0दं0वि0 की केश डायरी मय कैफियत के पेश।</p> <p>आवेदक/आरोपी की ओर से अधि. श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फौ0 का पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 16.11.2016 को आवेदक अपने खेतों में पानी दे रहा था उसी समय फरियादी अपने अन्य सहयोगियों के साथ कुल्हाड़ी, लाठी, फर्सा लेकर आए और उसे व उसके जीजा को बुरी बुरी गालियाँ देते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। जिसके रिपोर्ट आवेदक द्वारा करने पर उनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध पुलिस थाना गोहद में किया गया है। उक्त अपराध से बचने के लिए फरियादी पक्ष ने झूठी रिपोर्ट उसके विरुद्ध दर्ज करा दी है, जबकि उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया है। पुलिस द्वारा आवेदक को दिनांक 11.02.2017 को गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया है। प्रकरण में सहआरोपी गिराजसिंह को न्यायालय द्वारा दिनांक 28.02.2017 को जमानत पर छोड़ा जा चुका है जिससे कि वर्तमान आरोपी का अपराध भिन्न नहीं है। अतः समानता के आधार पर आवेदक को जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।</p> <p>राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है।</p> <p>उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। केश डायरी का अवलोकन किया गया। फरियादी कल्याण सिंह गुर्जर की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 16.11.16 को दिन के साढ़े आठ बजे वह और उसका भाई रामवरन हसेलिया पुरा मौजा में सरसों के खेत में पानी दे रहा था पास में ही महेन्द्र व बीरेन्द्र का खेत स्थित है। महेन्द्र ने उनका</p> |  |

पानी बंद कर दिया और अपने खेत के लिए खोल दिया और रामवरन ने कहा कि पानी क्यों बंद कर दिया तो इसी बात को लेकर महेन्द्र और बीरेन्द्र गाली गलोज करने लगे और मना किया तो महेन्द्र ने कुल्हाड़ी से रामवरन को मारा जो उसके सिर में लगी, धर्मवीर, रामवरन को बचाने आया तो बीरेन्द्र ने भी कुल्हाड़ी मारी जो सिर में लगी खून निकल आया। जगदीश, शैलेन्द्र, गिराज और अशोक ने उसकी व रामवरन की लात घूसों से मारपीट। मौके पर गजेन्द्रसिंह और राजू के द्वारा आकर बीच बचाव किया। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से पुलिस थाना गोहद में धारा 147, 148, 149, 294, 324, 506बी भा.द.वि का पंजीबद्ध किया गया है। विवेचना के दौरान आहतगण का परीक्षण कराया गया जिस पर से धारा 326 भा.द.वि का इजाफा किया गया है।

आवेदक अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि आवेदक/आरोपी का कृत्य जमानत पर छोड़े गए आरोपी गिराज के समान है। समानता के आधार पर जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।

उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। घटनास्थल पर मौजूद होने बताए गए आरोपी महेन्द्र व बीरेन्द्र के द्वारा धारदार हथियारों से रामवरन व धर्मवीर को चोटें पहुंचाना बताई है। वर्तमान आवेदक पर मात्र यह आक्षेप है कि उसके द्वारा डंडों व लात घूसों से मारपीट की है जो कि जमानत पर छोड़े गए सहआरोपी गिराजसिंह के भिन्न न होकर उसके समान ही है। यह उल्लेखनीय है कि उक्त घटना के संबंध में वर्तमान प्रकरण के फरियादी पक्ष के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध है जो कि क्रोस केश की केश डायरी से स्पष्ट है।

विचारोपरांत जबकि वर्तमान आवेदक पर यह आक्षेप है कि उसके द्वारा लात घूसों से डंडों से मारपीट की गई है जो कि इसी प्रकार का आक्षेप जमानत पर छोड़े गए सहआरोपी गिराज का था जो कि उस पर लगाए गए आक्षेप की प्रकृति एवं प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों परिस्थितियों को देखते हुए एवं इस तथ्य को देखते हुए कि आरोपी दिनांक 11.02.2017 से अभिरक्षा में है। आवेदक/आरोपी की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फौ0 निम्न शर्तों के अधीन स्वीकार किया जाता है कि आवेदक/ आरोपी की ओर से 40,000/- रूपए की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का व्यक्तिगत वंधपत्र पेश हो तो उसे जमानत पर छोड़ा जाए।

शर्तें—

1. आवेदक विवेचना में पूर्ण सहयोग करेगा।
2. आवेदक जब भी आवश्यक हो उपस्थिति दर्ज कराएगा।
3. आवेदक प्रत्येक पेशी दिनांक पर न्यायालय में उपस्थित

रहेगा एवं अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा।

4. आवेदक इस प्रकार के या अन्य किसी प्रकार के अपराध में संलिप्त नहीं रहेगा।

आदेश की प्रति सहित केश डायरी संबंधित थाने को बापस की जावे।

आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भेजी जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(डी०सी० थपलियाल)

ए.एस.जे. गोहद

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)